फा.सं.-31011/2/2003 स्था.ए-IV

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

*****

नई दिल्ली दिनांक 15 जनू, 2012

कार्यालय आदेश

विषय :- केन्द्रीय सचिवालय सेवा (एलटीसी) नियमावली, 1988 - जम्मू एवं कश्मीर का भ्रमण करने के लिए हवाई जहाज द्वारा यात्रा हेतु शिथिलीकरण ।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 18 जून, 2010 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का हवाला देने का एवं यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा (एलटीसी) नियमावली, 1988 के तहत जम्मू कश्मीर का भ्रमण करने के लिए एलटीसी यात्रा हेतु शिथिलीकरण को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, 18 जून, 2012 से दो वर्षों की अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जाता है:

(क) अधिकारी की हकदारी को ध्यान में रखे बिना, हवाई जहाज द्वारा यात्रा केवल इकॉनामी श्रेणी में करना जारी रखना ।

(ख) यह शर्त आवश्यक रूप से लागू रहेगी कि हवाई टिकटों को या तो सीधे एयरलाईनों (बुकिंग काउंटर/वेबसाइट) से या केवल प्राधिकृत एजेंटों जैसे कि मैसर्स बालमेड लॉरीए एंड कं.लि. या मैसर्स अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स लि./आईआरटीसी (जहां तक आईआरसीटीसी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/6/2002-स्था.(क) दिनांक 02.12.2009) के अनुसार प्राधिकृत किया गया है) के माध्यम से खरीदा जा सकता है ।

(ग) दिनांक 05.08.2010 एवं 25.09.2011 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित, इस विभाग के दिनांक 18.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित सभी अन्य शर्तें लागू रहेंगी ।

(बी. बंद्योपाध्याय)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 230440341

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

D/DOPT/कार्यालय आदेश